संख्या-150/2021/3424/26-3-2021-1514/2016 टी0सी0-।।

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2-निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

3-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊः दिनांकः 17 दिसम्बर 2021

विषयः- मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा पी0सी0एस0, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0 इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को जनपद स्तर पर निःशुल्क साक्षात प्रशिक्षण/आनलाइन प्रशिक्षण/सलाह प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रतियोगी परीक्षाओं के समय-समय पर परिवर्तित होते हुये पाठ्यक्रम के अनुरूप विषय विशेषज्ञों के मार्ग-दर्शन में प्रतिस्पर्धात्मक तैयारी हेतु प्रदेश के सभी युवाओं के मार्ग-दर्शन के लिये राजकीय क्षेत्र में भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत एक निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-16/2021/509/26-3-2021-1514/2016, दिनांक-06.02.2021 निर्गत किया गया, जिसका विस्तार करते हुये मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना को प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 18 मण्डलीय जनपदों के साथ प्रदेश के शेष 57 जनपदों (कुल 75 जनपदों) में सत्र 2021-22 से आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0, इत्यादि हेतु कोचिंग प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- उक्त योजना से सम्बन्धित कार्यो को सम्पादित करने का दायित्व सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का होगा, जिसका पर्यवेक्षणीय दायित्व सम्बन्धित मण्डलायुक्त का होगा।

कृपया उक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0-150/2021/3424(1)/26-3-2021-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

2-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

3-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,उत्तर प्रदेश।

4-अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।

5-महानिदेशक, उपाम उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

7-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।

8-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।

9-अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा/तकनीकी/कृषि शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक/बेसिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

10-श्री रंजन कुमार मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

11-प्रधान वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

12-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

13-श्रीमती लक्ष्मी सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र।

14-निदेशक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनजाति विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगज सशक्तिकरण, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

15-निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान लखनऊ।

16-निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

17-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

18-समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

19-संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, समाज कल्याण विभाग।

20-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।